मध्यप्रदेश शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग
मंत्रालय, भोपाल

------

क्रमांक/ 1722-2329/26-2 भोपाल दिनांक 13-12-2019

प्रति,

1. कलेक्टर, (समस्त)मध्यप्रदेश।
2. संयुक्त संचालक/उप संचालक,(समस्त)
   सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण, मध्यप्रदेश

विषय:- नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना नियम 2008(संशोधन 2013, 2016 एवं 2018) में मार्गदर्शन दिये जाने बाबत्।

-----

मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना के संबंध में दंपत्ति में से किसी एक का अन्य राज्य का निवासी होने पर उसे योजना का लाभ दिया जाये अथवा नहीं, तथा कितनी राशि का भुगतान किया जाये के संबंध में जिलों द्वारा मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

2. उपरोक्त के संबंध में लेख हे कि, नि:शक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत नि:शक्तजनों के सामाजिक पुर्नवास अंतर्गत नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 (संशोधन 2013, 2016 एवं 2018) अनुसार वर्तमान में संचालित है।

3. नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य मध्यप्रदेश के दिव्यांगजनों के सामाजिक पुनर्वास हेतु उनके विवाह को प्रोत्साहित करना है। अत: स्पष्ट किया जाता है कि दम्पत्ति में से यदि एक जीवनसाथी जो मध्यप्रदेश राज्य का निवासी हो एवं नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 1995 एवं दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 अनुसार जिसकी दिव्यांगता न्यूनतम 40 प्रतिशत या उससे अधिक हो तथा योजना/शर्तो के अनुसार पात्र हो, के द्वारा राज्य के बाहर के दिव्यांग से विवाह किये जाने पर प्रोत्साहन राशि रूपये **1.00 लाख** तथा राज्य के बाहर के शारीरिक रूप से सामान्य व्यक्ति से विवाह किये जाने पर प्रोत्साहन राशि रूपये **2.00 लाख** मध्यप्रदेश के निवासी को उक्त दिव्यांग द्वारा आवेदन किये जाने पर उसके बैंक खाते में नियमानुसार स्वीकृति उपरान्त जमा की जाये।

------02

4. उपरोक्तानुसार नि:शक्त विवाह प्रोत्साहन योजनांतर्गत प्राप्त प्रकरणों के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें, ताकि प्रदेश के अधिक से अधिक पात्र दिव्यांग हितग्राहियों को योजना का लाभ मिल सके। योजना की शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रहेगी।

12/12/19

( जे.एन.कांसोटिया )
प्रमुख सचिव
म.प्र.शासन
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग

पृ.क्र./ 1723-2399/19/26-2 भोपाल, दिनांक 13-12-2019

प्रतिलिपि:-

1. संचालक, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण 1250 तुलसी नगर भोपाल सूचनार्थ।

12/12/19

प्रमुख सचिव
सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन
कल्याण विभाग